

24.11.20

पन्नावली पैसा वकील वारिसों उपर ही जफ़ा
का अन्वयन किया। वारिसों डाक समान ही
जफ़ा का अन्वयन मि. नं. 36/20
बकवाली कलावली वार्ड वनाम साफ़ा
अन्वयन धाप 88-89-188 R.A.M.E. जफ़ा
किया बुका ही उफ़ा अन्वयनी जफ़ा भी
आज ही वरख उपरान्त निर्णय हेतु निमित्त
ही निराया दोनों जफ़ा का विनिश्चय
एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता
है।

जफ़ा में वारिसों डाक ग़ाम मोड़क
की इमि खसत नम्बर 70 फ़का 1.93
हेतु पर कला पत्नी बजटों के ह्याम
पर कलावली वार्ड पत्नी बजटों लाल
सही इमि कला का निवेदन किया
है, साथ ही अन्वयन मि. नं. 40/20
में ग़ाम गुमानपुरा की इमि आराजी

अधिकारी
रामगंजमण्डी

दिनांक
क्रम

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकूम की तामील
में जारी हुए

खाली नम्बर 245, 254, 255 पर नाम
कलावती पत्नी बजरांग है खान या कलावती
बार्द पत्नी बजरांगलाल दत्त कलावती या पति
दत्त किया है।
अबाल पैदाकार खाना में अज्ञात
पुमानाविल नदी के न कंक किया है।
अपने नामों के समर्थन में कारिया
द्वारा अकल जमावारी ग्राम गुमानपुरा सैकल
2073-74 खाली नं. 170, अकल जमावारी ग्राम
मोड़क सं. 2071-74 खाली नं. 242, दायालुति
आधार कार्ड सं. 7743, 5950, 4204, पैना कार्ड
नं. DXYPB7250M. श्री मोरें छति, भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र
सं. RJ/19/115/9273504 श्री छति विधान
सभा क्षेत्र रामगंजमण्डली (115), आधार कार्ड
नं. VNOKHWYX श्री छति, बैंक पास बुक
5.8 पं. खाली नं. 610686 23489 श्री छति,
अकल जमावारी ग्राम मोड़क सं. 2071-74
खाली नं. 236, प्रस्तुत श्री।

बहस विधान अधिवक्ता कारिया छुनी
सौरभ बहस विधान अधिवक्ता कारिया द्वारा
कारिया के कारिया के सौरभ के निर्देशन
किया कि कारिया के नाम पर ग्राम गुमानपुरा
श्री शक्ति में कलावती पत्नी बजरांग, ग्राम
मोड़क श्री शक्ति पर कला पत्नी बजरांग
तथा ग्राम मोड़क श्री ही अन्य शक्ति पर


रामगंगा मण्डली
अधिकारी

दिनांक: 20/07/2024
20/07/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहमदनगर हुक्म में
	<p> कलावतीबाई पत्नी बजांगलाल बाकिर ही इस प्रकार वारिसों का कलावतीबाई पत्नी बजांगलाल नाम सही ही इस प्रकार तीनों खातों में नाम उकलवा किया जावे। हमने सौंपे पदावतियों का हमान- पूर्वक अवगत किया। वारिसों का राज्य अभिलेख जमाबंदी ग्राम मीड़क सं० २०७५-७५ खता नं० २५२ में कलावतीबाई पत्नी बजांगलाल नाम दर्ज है वही नाम आधाकांड, ^५ बक पास बुक, आधाकांड कार्ड, पैनकार्ड, फौरी- पहचान पत्र (चुनाव) में दर्ज है वारिसों का ग्राम गुमानगुठा के खता सं० १७० में नाम कलावतीबाई पत्नी बजांगलाल तथा ग्राम मीड़क की खता सं० २३६ में कला पत्नी बजांगलाल दर्ज है, इस प्रकार तीनों खातों में वारिसों का नाम अलग-अलग तरह से दर्ज है जिन्हें एकपत्ता अनुसूचक दर्ज किया जाना उचित माना जाता है। नाम उकलवा से वारिसों का अन्य कोई बिबिधत्व खल्व प्रोदन्नत नहीं होगा। वारिसों का नाम नाम उकलवा का ही अधिकारी माना जाता है। अला गुमानगुठा के आधाकांड पर सौंपे </p>	

उपस्थित अधिकारी
 राजपुत्र

रीख
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

बाद लीकान किया जाकर यह आदेश दिया
जाते हैं, कि ग्राम सुमानपुरा की शमि खान नं०
२५७, २५४, २५५ पर कलावली पत्नी बजंगल के
स्थान पर तथा ग्राम मोड़क की शमि खान नं०
७० तथा १९३ ई. पर कला पत्नी बजंगल के
स्थान पर भी कलावलीबाई पत्नी बजंगलाल
नाम हुकूमत का रिफार्ड में अमल तामद किया
जावे। तदनुसार ठिकी मुक्ति हो।

निर्णय की एक-एक शर्त दोनों ही
पक्षावलि में संलग्न रखी जावे।

पक्षावली की निर्णित में जमाना की
जाकर जीवित लेख बढाए ही।

निर्णय आज दि० २५.११.२०२० को मेरे द्वारा
लिखाया जाकर विद्वत् न्यायालय में सुनाया।


(देशल राम)
J. A. S.
उपखण्ड अधिकारी
रामजमण्डी